संख्या-26/2018/क0नि0-4-666/11-2018-300(19)/12

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 13 जून, 2018**

विषयः- जनपद गाजियाबाद सहायता केन्द्र, मोहननगर परिसर में विभागीय ट्रेनिंग सेन्टर के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-स0नि0-गाजियाबाद-264-ट्रेनिंग सेन्टर/2018-19/214/वाणिज्य कर, दिनाँक 28.05.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गाजियाबाद सहायता केन्द्र, मोहननगर परिसर में विभागीय ट्रेनिंग सेन्टर के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत लागत रू0-3013.32 लाख (रूपये तीस करोड़ तेरह लाख बत्तीस हज़ार मात्र) के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-900.00 लाख (रूपये नौ करोड़ मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

1. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
4. मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था एवं आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।
5. यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रस्तावित कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना से नहीं कराया गया है, न ही किसी अन्य योजना में प्रस्तावित है।
6. उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2017-231/2018,दिनांक 30 मार्च, 2018 में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में अनुदान सं0-89 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-03 जनपद गाजियाबाद सहायता केन्द्र मोहननगर परिसर में विभागीय ट्रेनिंग सेन्टर का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-26/2018/क0नि0-4-666(i)/11-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
4. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, गाजियाबाद।
7. गार्ड बुक/समीक्षा अधिकारी (बजट)।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।